मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

### विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. 7385-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 26 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

**डॉ. ए. के. पयासी**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

### मध्यप्रदेश विधेयक

(क्रमांक १३ सन् २०१०)

## मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन ( संशोधन ) विधेयक, २०१०.

विषय-सूची

**खण्ड :**

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ३ का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा ४-क का संशोधन.
५. धारा ४-ख का संशोधन.
६. धारा ४-ग का स्थापन.
७. धारा ५ का स्थापन.
८. धारा ६-क का संशोधन.
९. धारा ६-ख का संशोधन.
१०. धारा ६-ग का संशोधन.
११. धारा ७ का संशोधन.

## मध्यप्रदेश विधेयक

(क्रमांक १३ सन् २०१०)

# मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०१०.

**मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम.** १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

**धारा ३ का संशोधन.** २. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, शब्द ''नौ हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रुपये'' स्थापित किये जाए.

**धारा ४ का संशोधन.** ३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द ''बारह हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''सोलह हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

**धारा ४-क का संशोधन.** ४. मूल अधिनियम की धारा ४-क में, शब्द ''सात हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

**धारा ४-ख का संशोधन.** ५. मूल अधिनियम की धारा ४-ख में, शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''चार हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

**धारा ४-ग का स्थापन.** ६. मूल अधिनियम की धारा ४-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

**अर्दली भत्ता.** ''४-ग. प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रुपये प्रतिमास अर्दली भत्ता दिया जाएगा.''.

**धारा ५ का स्थापन.** ७. मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

**बस यात्रा भत्ता.** ''५. प्रत्येक सदस्य को दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह बस यात्रा भत्ता दिया जाएगा.''.

**धारा ६-क का संशोधन.** ८. मूल अधिनियम की धारा ६-क की उपधारा (१) में,—

(एक) प्रथम पैरा में, शब्द ''छह हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''सात हजार रुपये'' स्थापित किये जाएं;

(दो) प्रथम परन्तुक में, शब्द ''दो सौ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''तीन सौ रुपये'' स्थापित किए जाएं.

**धारा ६-ख का संशोधन.** ९. मूल अधिनियम की धारा ६-ख में, शब्द ''तीन हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

**धारा ६-ग का संशोधन.** १०. मूल अधिनियम की धारा ६-ग में, शब्द ''तीन हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

**धारा ७ का संशोधन.** ११. मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) में, शब्द ''तीन हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

# उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

हाल ही के वर्षों में मुद्रा स्फीति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) में समुचित संशोधन द्वारा विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि की जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २६ मार्च, २०१०.

**डॉ. नरोत्तम मिश्रा**
भारसाधक सदस्य.

---

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

## वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणाम स्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये ७,३९,३१,०००/- (रुपये सात करोड़ उनचालीस लाख इकतीस हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

**डॉ. ए. के. पंयासी**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179] भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2010—चैत्र 6, शक 1932

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 2063-127-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राजेश यादव**, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 13 OF 2010

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010

TABLE OF CONTENTS

***Clauses :***


1. Short title.
2. Amendment of Section 3.
3. Amendment of Section 4.
4. Amendment of Section 4-A.
5. Amendment of Section 4-B.
6. Substitution of Section 4-C.
7. Substitution of Section 5.
8. Amendment of Section 6-A.
9. Amendment of Section 6-B.
10. Amendment of Section 6-C.
11. Amendment of Section 7.

MADHYA PRADESH BILL

No. 13 OF 2010.

## THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010

**A Bill Further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

**Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

**Amendment of Section 3.** 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "nine thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

**Amendment of Section 4.** 3. In Section 4 of the Principal Act, for the words "twelve thousand rupees", the words "sixteen thousand rupees" shall be substituted.

**Amendment of Section 4-A.** 4. In Section 4-A of the Principal Act, for the words "seven thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

**Amendment of Section 4-B.** 5. In Section 4-B of the Principal Act, for the words "two thousand rupees", the words "four thousand rupees" shall be substituted.

**Substitution of Section 4-C.** 6. For Section 4-C of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

**Orderly allowance.** "4-C. There shall be paid to every member orderly allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.".

**Substitution of Section 5.** 7. For Section 5 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

**Bus Travelling Allowance.** "5. There shall be paid to every member Bus Travelling Allowance at the rate of two hundred fifty rupees per mensem.".

**Amendment of Section 6-A.** 8. In sub-section (1) of Section 6-A of the Principal Act,—

(i) in the first paragraph, for the words "six thousand rupees", the words "seven thousand rupees" shall be substituted.

(ii) in the first proviso, for the words "two hundred rupees", the words "three hundred rupees" shall be substituted.

**Amendment of Section 6-B.** 9. In Section-6-B of the Principal Act, for the words "three thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

**Amendment of Section 6-C.** 10. In Section-6-C of the Principal Act, for the words "three thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

**Amendment of Section 7.** 11. In sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act, for the words "three thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to inflation in recent years, it has become necessary to enhance the salary and allowances of the members of the Legislative Assembly by suitable amendments in the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

2. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated the 26th March, 2010.

Dr. NAROTTAM MISHRA
*Member-in-Charge.*

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.